


तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

26/5/25

पंजाबी देश (इंडिया) कमीशन ऑफ़ अफ़ेयर्स / वेल्थ प्रोफ़ा  
पु/3 212 RT Act r.w.o. 39 R1320pc के परिप्रेक्ष्य  
में पंजाबी का प्रभावित किया गया / ग्राम  
रामगढ़ जहलील गिडाना की बाडवस्त मारणी जमाना  
एक 175 किता 4 रकबा 1.8716 hae, खाना एक 179  
किता 10 रकबा 3.330 hae एवं खाना एक 180  
किता 01 रकबा 0.7461 hae एवं खाना एक 181  
किता 2 रकबा 1.7199 hae भूमि प्रार्थी, एवं  
अप्रार्थी क्रम 1 व 2 एवं मन्दा की सहकारियों में  
हस्त रिकार्ड हैं। मन्दा सहकारियों को प्रकरण में  
पक्षकार नहीं बनाया है। It is well settled legal  
position है कि सामान्य भूमि के प्रत्येक भाग पर  
प्रत्येक सहकारियों का एक समान हक व अधिकार  
निहित होता है। अतः प्रार्थी का प्रपत्र प्रोफ़े  
RT Act क्रमिक रूप से स्वीकार किया जाता  
है। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को उनके सलाहकारों से  
आशय कि अर्थात् निबंधाला से पावें किया  
जाता है कि वे बाडवस्त मारणी के किसी  
विशेष भाग (specific area) का बंयान नहीं  
करें और ना ही हिस्सा विशेष का बंयान  
साध / शेष सह-कारियों पर कोई स्थगन नहीं  
होगा। पंजाबी के साथ अंशदार होकर नंबर से  
क्रम होकर भूमि के साथ सम्बन्ध है।



  
उपखण्ड अधिकारी  
पिडावा, जिला जालंधर (पंजाब)

